भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †1595

दिनांक 12.12.2023 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायत भवन

†1595. श्री नामा नागेश्वर रावः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई नवगठित ग्राम पंचायतों के पास अपने कार्यालय भवन नहीं हैं और देश में कई मौजूदा ग्राम पंचायत भवन भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की धनराशि की स्वीकृति हेतु कोई स्कीम बनाने की योजना है और जहां कहीं भी आवश्यक हो, नए ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण के लिए निधियों का आवंटन किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(श्री कपिल मोरेश्वर पाटील)

(क) से (ग) पंचायत राज्य का विषय होने के कारण, ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए पंचायत भवन उपलब्ध कराना मुख्य रूप से राज्यों की जिम्मेदारी है। अतः, राज्यों से पंचायत भवनों के निर्माण हेतु विभिन्न स्रोतों से धन जुटाने की अपेक्षा की जाती है। हालाँकि, दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2026 तक कार्यान्वित किए जाने हेतु अनुमोदित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) योजना के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनकी वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित तथा केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदनानुसार ग्राम पंचायत के कामकाज में सहायता के लिए सीमित पैमाने पर पंचायत भवन प्रदान करके, पूर्वोत्तर राज्यों पर

ध्यान केंद्रित करते हुए, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा किया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 269073 ग्राम पंचायतों (जीपी)/पारंपरिक स्थानीय निकायों (टीएलबी) में से 35439 जीपी के पास अपना पंचायत भवन नहीं है। पंचायत भवन की आवश्यकता और संशोधित आरजीएसए के तहत सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, इस अंतर को पूरा करने हेतु, राज्यों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), 14वें वित्त आयोग की अव्ययित धनराशि, 15वें वित्त आयोग की धनराशि और राज्य योजनाओं आदि के फंड /संसाधनों को एकत्रित करके जीपी भवन का निर्माण को प्राथमिकता दी जाए।

*****